फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर, मुकाम अलवर

समयदीन बनाम राजस्थान सरकार वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट मु0 नं0 3/19 सन –2024 21-5-24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.05.2024	प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट दर्ज रजिस्टर होकर तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट तलब की जाकर पत्रावली दिनांक 26–06–2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अलवर 26/6/24 ... उभय पक्ष अनु0। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा0 कार्यो में व्यस्त है। दिनांक 1/7/24 को पेश हो।	
1.7.24	पत्रावली पेश हुई तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त पत्रावली वास्ते आदेश दि0 8-7-24 को पेश होवें। उपखण्ड अधिकारी अलवर	
8-7-24	पत्रावली पेश हुई निर्णय पृथक से लिखाया अलवर खुले न्यायालय में सुनाया गया निर्णय प्रति तहसीलदार अलवर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे पत्रावली नियम ... बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे। उपखण्ड अधिकारी अलवर	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी –श्री प्रतिक जुईकर (I.A.S.)

मु.नं.	तारीख दायर	किस्म	तारीख निर्णय
03/19	10.05.2024	136 LR Act	08.07.2024

बउनवान

1:–समयदीन पुत्र रोला जाति मेव
2:–समसू पुत्र रोला जाति मेव निवासीयान झाडोली तहसील व जिला अलवर (राज०)
प्रार्थी

बनाम,

1:–तहसीलदार साहब, अलवर लैण्ड होल्डर, तहसील अलवर जिला अलवर राज०
अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया यह कि आराजी खसरा नंबर 333, रकबा 25 ऐयर, 57 रकबा 41 ऐयर, 58 रकबा 35 ऐयर, 627 रकबा 24 ऐयर, 628 रकबा 08 ऐयर, 63 रकबा 13 ऐयर, 64, 11 ऐयर, 70 रकबा 1 ऐयर, 71 रकबा 17 ऐयर, 72 रकबा 21 ऐयर, 797 रकबा 22 ऐयर, 813 रकबा 23ऐयर, 317 रकबा 30 ऐयर, 317/1344 रकबा 1 ऐयर, 318 रकबा 30 ऐयर 982 रकबा 33 ऐयर, 924 रकबा 14 ऐयर वाके ग्राम झाडोली, पटवार हल्का घाटला भू.अभि. निरीक्षक हल्का शाहपुर तहसील अलवर जिला अलवर राज० में स्थित है उक्त आराजी के प्रार्थीगण 1/4, 1/4 भाग के खातेदार काश्तकार है व मौके पर काबिज है प्राथीगण ने उक्त आराजीयात पर स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर ए डी बी शाखा अलवर में रहन रख कर ऋण लिया था जिसका वाका रहन मु. बैंक स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर ए डी बी शाखा अलवर के नाम नामान्तकरण भी स्वीकृत हो गया था राजस्व कर्मचारियो ने उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर ए डी बी शाखा अलवर के बजाय स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा खैरथल गलत दर्ज कर दिया जिस गलती के कारण प्रार्थीगण को संबंधित बैंक द्वारा नोडूयूज नही दिया जा रहा है। प्रार्थीगण ने समस्त ऋण भी पूर्व में ही जमा करा दिया है राजस्व रेकार्ड में बैंक के नाम का गलत अंकन होने से प्रार्थीयान को नापूर्ति होने वाली क्षति हो रही है। तथा प्रार्थीयान का बैंक भी उसे नोड्यूज प्रमाण पत्र जारी नही कर रहा है अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसीलदार साहब अलवर से रिर्पोट मंगवाई जाकर बैंक का नाम सही स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

जयपुर ए डी बी शाखा अलवर का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश सादिर फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट पत्रॉक भू0अ0/2024/4046 दिनॉक 03–6–24 मे अंकन किया है कि ग्राम झाडोली तहसील अलवर के जमाबंदी हाल के खाता नंबर 180, 181, 183, 184, 185 के खसरा नंबर 57, 58, 63, 70, 64, 71, 72, 333, 317, 318, 317/1344, 319, 982, 627, 628, 797, 813, 924 किता 18 में काश्तकार समयदीन समसू पुत्रान रोला के एस. बी. बी. जे. शाखा खैरथल के दर्ज रिकार्ड है समयदीन समसू पुत्रान रोला द्वारा जर्ये नामा० स० 364 रहन दिनांक 24/03/1987 को एस. बी. बी. जे शाखा एडीबी अलवर के पक्ष में रहन दर्ज रिकार्ड हुआ था बैंक के द्वारा जारी धारा 6(1) की नकल प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है उक्त नामान्तकरण स0 364 रहन का अमल भू0 प्रबन्धक विभाग सेटलमेन्ट द्वारा जमाबन्दी मे करते वक्त खातेदार का हिस्सा एस. बी.बी.जे. मूर्तहन बिला कब्जा दर्ज किया अर्थात शाखा दर्ज नहीं की गई राजस्व रिकोर्ड में समयदीन शमशु पिता रोल खातेदार का रहन का इंद्राज मुताबिक भू. प्रबंधक विभाग सेटलमेंट द्वारा बनाए गए जमाबंदी के अनुसार वर्तमान रिकॉर्ड में चला आ रहा है अतः तहसीलदार रिपोर्ट एवं अभिशंषा उपतहसीलदार कस्बा डहरा के जर्ये नामा० संख्या 364 के अनुसार बैंक की शाखा खैरथल के स्थान पर ए.डी.बी शाखा अलवर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त किए जाने कि अभिशंषा के साथ रिपोर्ट पेश की है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत भू0 अभिलेख अधिकारी के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रद्वत किये गये है। भू0 अभिलेख अधिकारी भूमि की प्रकृति को नहीं बदल सकता लेकिन अगर भू–प्रबन्ध के दौरान् कोई गलत इन्द्राज कर दिया है तो उसको दुरूष्त किया जा सकता है।

आर.आर.टी.2018(2) 1158 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पैरा–7 में यह अभिर्निधारित किया गया है कि बदोबस्त के दौरान् राजस्व अभिलेख में की गई त्रुटि को दुरूष्त किये जाने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है।

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न प्रा0पत्र, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा शुद्विकरण के लिये उक्त संशोधन के सम्बन्ध मे वाछित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है तथा जिसका सत्यापन तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट एंव अभिशंषा से भी होता है अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 मे पोषणीय होने के कारण प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वाके ग्राम झाडोली तहसील अलवर के जमाबंदी हाल के खाता नंबर 180, 181, 183, 184, 185 के खसरा नंबर 57, 58, 63, 70, 64, 71, 72, 333, 317, 318, 317/1344, 319, 982, 627, 628, 797, 813, 924 किता 18 में अंकन स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा खैरथल का कलमजन किया जाकर नामान्तकरण संख्या 364 के अंकन अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर ए.डी.बी शाखा अलवर राजस्व रिकार्ड अंकित किया जाकर दुरूस्त किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर
अलवर

निर्णय आज दिनांक 08-07-24 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर
अलवर

Scanned with OKEN Scanner